# राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

## विधान (नियमावली)

तथा

## संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :—

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्ग-दर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही माण्य होगा।

2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।

3. संस्था के उद्देश्य अधिवियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।

4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।

5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।

6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।

7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षार करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।

सूचना के अधिकार के तहत
प्रदत्त प्रतिलिपि

रजिस्ट्रार संस्थायें
जयपुर

8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

**धारा–20**

9. संस्थाएं, जिनका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा :—पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्थाएं, सैनिक अनाथ निधियां, साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं के उन्नयन के लिये स्थापित संस्थाएं, सदस्यों के सामान्य उपयोग या जनता के लिये पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना या निर्वहण के लिये या सार्वजनिक अजायबघरों तथा चित्रकारी एवं अन्य कलाकृतियों की वीथाओं की स्थापना या निर्वहण के लिये स्थापित संस्थायें, प्राकृतिक इतिहास के संग्रह और यान्त्रिक और दार्शनिक अविष्कारों, उपकरणों या डिजाइनों के लिये स्थापित संस्थायें।

---



डा०बी०आर०अम्बेडकर चेतना ............ समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था। सांभरलेकजयपुर।

## संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम डा०बी०आर०अम्बेडकर चेतना समिति/~~सोसाइटी/संस्थान/संस्था है~~ व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सांभर लेक उप खण्ड सांभर लेक ............ है। तथा इसका कार्यक्षेत्र उप खण्ड सांभर लेक ............ क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य** : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1. गरीब एंव पिछड़े समाज का पूर्ण विकास एंव सामाजिक स्तर को उचा उठाना।
2. सामाजिक कुरीतियो, खर्चीले रीति रिवाजों के संबध में समयानुसार परिवर्तन करना।
3. सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये स्वीकृत योजनाओं की लोगों को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना
4. आपात कालीन स्थिति मे देश के हित मे कार्य करनाएंव आवश्यकता पड़ने पर चंदा एकत्रित करना
5. अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों का वर्ष मे एक बार संगोष्ठी का आयोजन करना।
6. वाचनालय एंवम पुस्तकालय का संचालन करना
7. समाज मे व्याप्त अशिक्षा को समाप्त करने के प्रयत्न करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

कोषाध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थायें जयपुर

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

| क्र.सं. | नाम व पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री भागचंदपुत्र सुखाराम | नोकरी | मुगल मो० सांभर | अध्यक्ष |
| 2. | चोथमल पुत्र हेमराज | ,, | तेली दरवाजा सांभर लेक | उपाध्य |
| 3. | रेवतीरमन पुत्र महावीरप्रसाद | ,, | किंगस्क्वायर सांभरलेक | मंत्री |
| 4. | छीतरमल पुत्र मुण्डाराम | ,, | रावण टीबा सांभरलेक | कोषाध |
| 5. | राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हीरालाल | ,, | ,, | उपमंत्री |
| 6. | शिवचरण पुत्र भौंरीलाल | ,, | ,, | सलाहका |
| 7. | मुकेशकुमार पुत्र लक्ष्मणसिंह | ,, | ,, | संगठनमं |
| 8. | ओमप्रकाश पुत्र भैरूलाल | निजीकार्य | तेलीदरवाजा सांभर | सदस |
| 9. | रामकिशन पुत्र लादूराम | नोकरी | मालिकोकामो० सांभरलेक | ,, |
| 10. | गिरधारीलालपुत्र रूघाराम | ,, | खण्डेल | ,, |
| 11. | रमेशचन्द पुत्र श्रीचंद | ,, | फुलेरा | ,, |

प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :—

| क्र. सं. | नाम/पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भागचंद /सुखाराम | नोकरी | मुगलमो० सांभर | |
| 2 | चोथमल /हेमराज | ,, | तेलीदरवाजा सांभर | |
| 3 | रेवतीरमन/महावीरप्रसाद | ,, | किंगस्क्वायर सांभरलेक | |
| 4 | राजेन्द्रप्रसाद/हीरालाल | ,, | ,, | |
| 5 | छीतरमल/मुंडाराम | ,, | रावणटीबा सांभरलेक | |
| 6 | शिवचरणलाल/भौंरीलाल | ,, | ,, | |
| 7 | मुकेशकुमार/लक्ष्मणसिंह | ,, | | |
| 8 | ओमप्रकाश/भैरूलाल | निजीकार्य | तेलीदरवाजा सांभर | |
| 9 | रामकिशन/लादूराम | नोकरी | मालियोकामो० सांभरलेक | |
| 10 | रमेशचन्द्रबैरवा/श्रीगणेश | ,, | स्टेशनकेपास सांभर | |
| 11 | गिरधारीलाल/रूघाराम | खण्डेल नोकरी | | |

कार्याध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष

सूचना के अधिकार के तहत खण्डेल प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार संस्थायें जयपुर

| क्र. सं. | नाम/पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्णपता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 12 | फूलचंद/बालूराम | ,, | स्टेशनसांभर | |
| 13 | रमेशचन्द/श्रीचंद | ,, | फुलेरा | |
| 14 | भंवरलाल/श्रीहनुमानराम | ,, | किंग स्क्वायर सांभर | भवरला |
| 15 | गजानन्द/ | ,, | छोटाबाजार सांभरलेक | |

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
[illegible] (जयपुर-राज॰)
रजि सं॰ 693/80-81

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
भुतपूर्व [illegible]
लेबर [illegible]
सांभर [illegible]
व्यवसाय पता [illegible] सांभर

कोषाध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष

47/88
डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर चेतना समिति
[illegible]
4
3/5/88

6

नाम संस्था डा॰बी॰आर॰अम्बेडकर चेतना समिति/~~सोसायटी/संस्थान/संस्था~~ सांभर लेक

# विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम डा॰बी॰आर॰अम्बेडकर चेतना समिति/~~सोसायटी/संस्थान/संस्था है~~ व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सांभर है तथा इसका कार्यक्षेत्र उपखण्ड सांभर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य** : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1- गरीब एंव पिछड़े समाज का पूर्ण विकास एंव सामाजिक स्तर को उंचा उठाना

2- सामाजिक कुरीतियो, खर्चीले रीति रिवाजो के संबध मे समायानुसार परिवर्तन करना

3- सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये स्वीकृत योजनाओं की लोगो को पूर्ण जानकारी उपलबध करवाना।

4- आपात कालीन स्थिति मे देश के हित मे कार्य करना एंव आवश्यकता पडने पर चंदा ऐकत्रित करना

5- अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो का वर्ष मे एक बार संगोष्ठी का आयोजन करना

6- वाचनालय एंवम पुस्तकालय का संचालन करना।

7- समाज मे व्याप्त अशिक्षा को समाप्त करने के प्रयास करना

उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

सूचना के अधिकार के तहत सत्यापित प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार संस्थायें
जयपुर

कोषाध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष

**4. सदस्यता** : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1–संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2–बालिग हों।

3–पागल, दीवालिये न हों।

4–संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5–संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

**5. सदस्यों का वर्गीकरण** : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:—

1–संरक्षक

2–विशिष्ठ

3–सम्मानीय

4–साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

**6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा** : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :—

1–संरक्षक राशि......×......वार्षिक/आजन्म

2–विशिष्ठ राशि......×......वार्षिक/आजन्म

3–सम्मानीय राशि......×......वार्षिक

4–साधारण राशि......2रूपये......वार्षिक

कोषाध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष



उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु०.................... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

**7. सदस्यता से निष्कासन** : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :—

1–मृत्यु होने पर

2–त्याग पत्र देने पर

3–संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4–प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

**8. साधारण सभा** : संस्था के उपनियम-संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

**9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य** : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे।

1–प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2–वार्षिक बजट पारित करना।

3–प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

कोषाध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष

4–संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा)

**10. साधारण सभा की बैठकें** : 1–साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2–साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3–बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4–कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व ऐजेन्डा में थे।

5–संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

कोषाध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष

**11. कार्यकारिणी का गठन** : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगें :—

1–अध्यक्ष – एक    2–उपाध्यक्ष – एक

3–मन्त्री – एक    4–कोषाध्यक्ष – एक

5–सदस्य – सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किये जावे, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रखलें)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ....7.... पदाधिकारी व ....4.... सदस्य कुल ....11.... सदस्य होंगें।

**12. कार्यकारिणी का निर्वाचन** : 1–संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2–चुनाव प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3–चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

**13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य** : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :—

1–सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2–वार्षिक बजट तैयार करना।

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार संस्थायें जयपुर

कोषाध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष

4–वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्त करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, तथा मुक्त करना।

5–साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6–कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7–अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करेगा।

14. कार्यकारिणी की बैठकें : 1–कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2–बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3–बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4–कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व ऐजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।



15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—

1–अध्यक्ष :

1–बैठकों की अध्यक्षता करना।

2–मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3–बैठकें आहूत करना।

4–संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5–संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना

2–उपाध्यक्ष :

1–अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2–प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3–मन्त्री :

1–बैठकें आहूत करना।

2–कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार संस्थायें
जयपुर

3–आय व्यय पर नियन्त्रण करना।

4–वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5–सस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर सस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6–पत्र व्यवहार करना।

7–सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

**4–उप-मन्त्री :**

1–मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2–अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

**5–कोषाध्यक्ष :**

1–वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2–दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3–चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना

4–अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

**16. संस्था का कोष** : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1–चन्दा



2–शुल्क

3–अनुदान

4–सहायता

5–राजकीय अनुदान

1–उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

2–अध्यक्ष / मन्त्री / कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

**17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार** : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :—

1–अध्यक्ष.....200.....रु०

2–मन्त्री.....100.....रु०

3–कोषाध्यक्ष.....50.....रु०

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्ध कारिणी द्वारा की जायेगी।

**18. संस्था का अंकेक्षण** : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

**19. संस्था के विधान में परिवर्तन** : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. **संस्था का विघटन :** यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :** रजिस्ट्रार संस्थाएं, रा०सरकार जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझाओं की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) डा०बी०आर० अम्बेडकर घेताशा ~~समिति~~ समिति/~~सोसायटी/संस्थान~~/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

(१) संस्था का पंजीयन क्रमांक 47/88-89
(२) संस्था का नाम डा० बी० आर० अम्बेडकर चेतना समिति
(३) किस्म दस्तावेज सच्ची प्रतिलिपि (विधान)
(४) दस्तावेज नं० 10
(५) दिनांक पंजीयन 3-5-88
रजिस्ट्रार



सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार संस्थायें जयपुर